संख्या:14/2017/877जेएल/22-3-17-100(38)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2017***

विषय: जिला कारागार, बांदा में निरूद्ध 04 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9851/सामा-1(3)/बांदा मं0/2016, दिनांक 30-03-2017 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, बांदा में निरूद्ध निम्नलिखित 04 (चार) विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदियों को स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बांदा द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी** :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	वि0/सि0 बंदी उमेश उर्फ गोरा राय पुत्र श्री मुक्तेश्वर राय	जि0का0बांदा	जि0का0रामपुर
2	कौशलेश त्रिपाठी पुत्र श्री देवमणि	जि0का0बांदा	जि0का0बस्ती
3	शीलू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र श्री रामसनेही	जि0का0बांदा	जि0का0देवरिया
4	दिलीप रैदास पुत्र श्री बृजलाल	जि0का0बांदा	जि0का0खीरी

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या:14/2017/877जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2. जिला मजिस्ट्रेट, बांदा/रामपुर/बस्ती/देवरिया/खीरी।
3. पुलिस अधीक्षक, बांदा/रामपुर/बस्ती/देवरिया/खीरी।
4. वरिष्ठ अधीक्षक, जि0का0, बांदा/बस्ती एवं अधीक्षक, जि0का0 रामपुर/देवरिया/खीरी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in